


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(1) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months."

Calendar year जनवरी से दिसम्बर होता है। अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैन्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश चालू कलैन्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है। कलैन्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके ज्ञापन राप्राएवं माशिसं/बीका/प्रदेश/2018-19 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर